

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarnissection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

10-2-2014

आवेदक श्री मनोज कुमार सिंह, पिता-स्व० उमा नाथ सिंह, सा०-नरौली, पो०-करौटा, थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना से प्राप्त एक दो नाली बन्दूक शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-683/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1462/गो०, दिनांक-03.10.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ़ के ज्ञापांक-3355/बाढ़, दि०-25.09.2013 द्वारा थानाध्यक्ष-सह-पुलिस निरीक्षक, बख्तियारपुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुशंसा नहीं करने की आवश्यकता के मद्देनजर मंतव्य देते हुए भेजा गया है। थानाध्यक्ष, मोकामा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे कृषक हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के साथ ही आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होने के उपरान्त उन्हें शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गई है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक दो नाली बन्दूक हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री मनोज कुमार सिंह, पिता-स्व० उमा नाथ सिंह, सा०-नरौली, पो०-करौटा, थाना-बख्तियारपुर, जिला-पटना के आवेदित एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।